



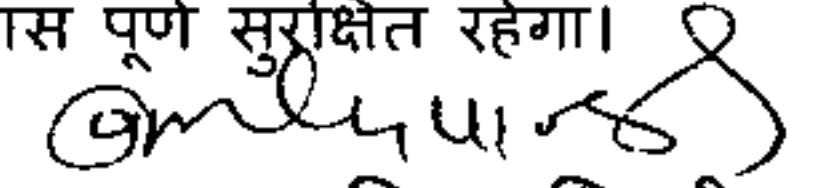
भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष: 0151-2250960 एवं 0151-2253123

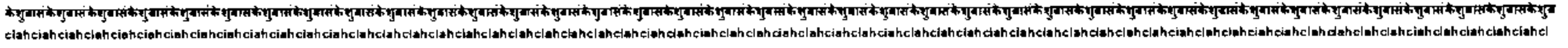


बेर फलों की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान फार्म के विभिन्न प्रखण्डों विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1200 बेर वृक्षों में लगे हुए फलों की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 30.12.2016 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति रु.2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेब साईट www.ciah.ernet.in एवं CPP-NIC Portal पर उपलब्ध हैं। नीलामी में सामिल होने के इच्छुक व्यक्ति बेर के वृक्षों एवं नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन बोली लगाने से पूर्व अवश्य कर लें।

प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास पूर्ण सुरक्षित रहेगा।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी



...2...

10. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
11. फलों की तुड़ाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
12. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
13. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।


(कुलदीप पान्डे)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछवाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. फार्म मैनेजर - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. व्यक्तिगत सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
- ✓ 12. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वेब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।